



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक , 1944 (श०)

संख्या - 555 राँची, सोमवार,

21 नवम्बर, 2022 (ई०)

#### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

2 नवम्बर, 2022

विषय :- झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसके 3(तीन) अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत नए ग्रिड सब-स्टेशन एवं संचरण लाईनों के निर्माण हेतु सरकारी गैरमजरूआ/खासमहाल/जंगल-झाड़ी/**Deemed Forest** भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु आवश्यक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि के अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संचिका सं०-5/स०भू० JUVNL-81/2022-3764(5)/रा०--ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी 3(तीन) अनुषंगी कंपनियों के द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन एवं झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी 3(तीन) अनुषंगी कंपनियों के भौतिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए इन निगमों के अंतर्गत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों 220/132/33 के०वी०

ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण एवं हस्तांतरण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने का प्रावधान विभागीय संकल्प संख्या- **5692**, दिनांक-**26.10.2016** में किया गया है।

2. भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के **24X7 Power for All** परिकल्पना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण अबाधित विद्युत आपूर्ति करने हेतु झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के द्वारा राज्य में कई नये ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में कई बार सरकारी भूमि **Deemed Forest** (जंगल-झाड़ी इत्यादि) होने के कारण वन विभाग को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दुगुनी भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है तथा इस निमित्त एक बड़ी राशि की मांग की जाती है। साथ ही ग्रिड सब-स्टेशन के साथ संबंधित संचरण लाईन के निर्माण के क्रम में संचरण लाईन के कॉरिडोर में पड़ने वाले गैरमजरूआ भूमि, जंगल-झाड़ी तथा Deemed Forest के Forest Clearance (Stage-II) के लिए आवश्यक FRA/NOC निर्गत करने हेतु एक बड़ी राशि की मांग की जाती है, जिस कारण परियोजना राशि में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब भी होता है।

3. राज्य की जनता को किफायती दर पर विद्युत आपूर्ति करने तथा नये ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण से संबंधित योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या- **5692**, दिनांक-**26.10.2016** में निहित उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी 3(तीन) अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत नये ग्रिड सब-स्टेशन एवं संचरण लाईनों के निर्माण हेतु सरकारी गैरमजरूआ/खासमहाल/ जंगल-झाड़ी/**Deemed Forest** भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु आवश्यक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि के अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-21.10.2022 में मद संख्या-22 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-5692/रा०, दिनांक-26.10.2016 के कंडिका-3 में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त निम्न प्रावधानों को जोड़ा जाता है :-

"(i) नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्राप्त सरकारी गैरमजरूआ/खासमहाल/जंगल-झाड़ी/**Deemed Forest** भूमि के **Forest Clearance (Stage-II)** से संबंधित आवश्यक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि के अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जायेगा।

(ii) विद्युत संचरण लाईन के निर्माण हेतु कॉरिडोर में पड़ने वाले गैरमजरूआ/खासमहाल/जंगल-झाड़ी/**Deemed Forest** भूमि के **Forest Clearance** हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (**FRA/NOC**) निःशुल्क प्रदान किया जायेगा ।

(iii) **Forest Clearance** के क्रम में जो भी **Compensatory Levies** देय होगा, उनका भुगतान झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा उनकी अनुषंगी कम्पनियों के द्वारा किया जायेगा ।"

5. विभागीय संकल्प संख्या-**5692/रा०**, दिनांक-**26.10.2016** की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संदीप कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----